Part–1

A

| न्यायालय– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–1, नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) | |
|---|---|
| **पीठासीन अधिकारी – डॉ. सोनिया पूर्वा, आर.जे.एस**<br>फौजदारी नियमित प्रकरण संख्याः– 484/2023<br>सीआईएस संख्याः– 980/2023<br>एफआईआर संख्याः– 121/2023, पुलिस थानाः– **शहर नीमकाथाना**<br>**सरकार** बनाम **सत्यस्वरूप**<br>सीएनआर नंबरः– RJSK070017572023 | |
| **अपराध अंतर्गत धारा 498 ए, 406 भारतीय दंड संहिता, 1860 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** | |
| परिवादिया | प्रिया किलाणिया पुत्री बनवारीलाल पत्नी सत्यस्वरूप गोठवाल निवासी गांधी चौक बुनकर मोहल्ला चौमू, जिला–जयपुर हाल निवासी वार्ड नंबर 15 भूदौली रोड नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) |
| द्वारा प्रस्तुत | अभियोजन अधिकारी |
| अभियुक्तगण | सत्यस्वरूप गोठवाल पुत्र नानकचंद गोठवाल निवासी बुनकर मोहल्ला चौमू, पुलिस थाना चौमू, जिला–जयपुर (राज.) |
| अधिवक्ता | श्री नत्थुसिंह तंवर, अधिवक्ता वास्ते परिवादिया।<br>श्री सुशील कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त। |

B

| | |
|---|---|
| अपराध की तिथि | 07.12.2014 के पश्चात् |
| एफआईआर की तिथि | 24.03.2022 |
| आरोप पत्र पेश करने की तिथि | 21.08.2023 |
| आरोप सुनाये जाने की तिथि | 22.01.2024 |
| साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि | 30.05.2024 |
| फैसले की तारीख | 06.06.2026 |

C

**आरोपीगण विवरण**

| क्र.सं. | नाम | गिरफ्तारी की दिनांक | जमानत की तारीख | आरोप | बरी कर दिया गया या दोषी ठहराया गया। | सजा सुनाई गई। | धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | हिरासत में लेने की अवधि। |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सत्यस्वरूप | लागू नहीं | लागू नहीं | 498 ए, 406 भारतीय दंड संहिता, 1860 व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम | धारा 406 भा.दं.सं. में बरुए राजीनामा दोषमुक्त एवं धारा 498 ए भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त | लागू नहीं | लागू नहीं |

**PART–II**

**अभियोजन/बचाव/अदालत गवाहों की सूची**

**ए. अभियोजन**

| क्र.सं. | पद | नाम | साक्ष्य की प्रकृति |
|---|---|---|---|
| 1 | पी.डब्ल्यू. 1 | प्रिया किलाणिया | परिवादिया/ताईद एफआईआर/बयान धारा 161 दं.प्र.सं. |
| 2 | पी.डब्ल्यू. 2 | बिमला देवी | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. |
| 3 | पी.डब्ल्यू. 3 | कैलाश चंद | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. |
| 4 | पी.डब्ल्यू. 4 | बाबूलाल | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. |
| 5 | पी.डब्ल्यू. 5 | कमला | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. |

**अभियोजन/रक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची।**

**ए. अभियोजन**

| क्र.सं. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | प्रदर्श पी 1 | परिवाद–पत्र |
| 2 | प्रदर्श पी 1 (पुनः अंकित) | परिवादिया का शपथ–पत्र |
| 3 | प्रदर्श पी 2 | सूची स्त्रीधन |
| 4 | प्रदर्श पी 3 | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. परिवादिया प्रिया किलाणिया |
| 5 | प्रदर्श पी 4 | फर्द जब्ती स्त्रीधन |
| 6 | प्रदर्श पी 5 | फर्द जब्ती व सुपुर्दगी स्त्रीधन |
| 7 | प्रदर्श पी 6 | परिवादिया को थानाधिकारी को बकाया स्त्रीधन दिलाये जाने बाबत पत्र |
| 8 | प्रदर्श पी 7 | राजीनामा प्रार्थना–पत्र |
| 9 | प्रदर्श पी 8 | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. गवाह बिमला देवी |
| 10 | प्रदर्श पी 9 | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. गवाह कैलाशचंद |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | प्रदर्श पी 10 | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. गवाह बाबूलाल |
| 12 | प्रदर्श पी 11 | बयान धारा 161 दं.प्र.सं. गवाह कमला |

**बी. अभियुक्त**

| क्र.सं | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| – | – | – |

**– नि र्ण य –** **दिनांकः–06.06.2026**

**1–** अभियोजन कहानी के अनुसार प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.03.2022 को परिवादिया प्रिया किलाणिया पुत्री बनवारीलाल पत्नी सत्यस्वरूप गोठवाल निवासी गांधी चौक बुनकर मोहल्ला चौमू, जिला–जयपुर हाल निवासी वार्ड नंबर 15 भूदौली रोड नीमकाथाना, जिला–सीकर (राज.) ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक परिवाद इस आशय का पेश किया कि परिवादिया का विवाह आज से करीब 8 वर्ष पहले दिनांक 07.12.2014 की अभियुक्त सं. 1 के साथ परिवादिया के पैतृक निवास स्थान वार्ड के 15 भूदोली रोड नीमकाथाना में परिवादिया रिश्तेदारो एवं मौतबिरान की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ था। परिवादिया के पिता ने उक्त विवाह में अपनी हैसियत से बढ़ –चढ़ कर खण्डेलवाल मैरीज गार्डन बुक करवाकर करीब 10 लाख रुपये का खर्चा करके परिवादिया की उक्त विवाह में बतौर स्त्रीधान फ्रीज, कूलर, एलईडी, अलमारी, ड्रैसिंग टेबिल, एक मोटरसाईकिल एचएफ डिलक्स सहित 5 तोला सोने के आभूषण तथा 1/2 किलो चांदी के सहित समस्त घरेलू उपयोग–उपभोग में आने वाला सामान दिया था। स्त्रीधन सूची परिवाद के साथ अलग से प्रेषित की जा रही है। परिवादिया जब पहली बार अपने ससुराल में गयी, तब अभियुक्तगण सं. 1 ता 2, जिनमें पति अभियुक्त सं. 1 सत्यस्वरूप गोठवाल, ननद अभियुक्त सं. 2 सुमन देवी का व्यवहार ठीक–ठाक रहा, परन्तु कुछ समय बाद ही अभियुक्तगण सं. 1 ता 2 ने परिवादिया से एक लाख रुपये नकद तथा एक कार देने की नाजायज मांग करके मारपीट करना चालू कर दिया, जिसको परिवादिया काफी दिनों तक सहन करती रही। पति अभियुक्त सं. 1 परिवादिया को मारपीट करके शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता तथा धमकी देता कि "तेरे कोई सन्तान भी पैदा नहीं होती है, इसलिये मैं तेरे को नहीं रखना चाहता हूं।'' अभियुक्त सं. 1 को उक्त विवाह में दी गयी मोटरसाईकिल आज भी परिवादिया के भाई विजय किलाणिया के नाम से ही है। पति अभियुक्त सं. 1 वर्तमान में पोस्ट ऑफिस जाटावाली तहसील चौमू में शाखा डाकपाल के पद पर तथा ननद अभियुक्त सं. 2 आयुर्वेद हॉस्पिटल, जवानपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। ननद अभियुक्त सं. 2 परिवदिया जब ससुराल जाती थी उसको तंग परेशान करती थी, गाली–गलौच करती थी तथा धमकी देती थी कि "तेरे माता पिता ने मेरे भाई को दहेज मे कुछ नहीं दिया और तेरे सन्तान भी पैदा नहीं होती है। हम तेरे को यहा नहीं रखेंगे।'' पति अभियुक्त सं. 1 परिवाविया को डरा धमकाकर बिना बताये तथा पढ़कर सुनाये बिना ही स्वयं के द्वारा पुनः शादी करने के लिव इन रिलेशनशिप बाबत सहमति का इकरारनामा भी न्यायालय परिसर नीमकाथाना में लिखवा लिया तथा उक्त इकरारनामा पर बतौर गवाह परिवादिया की अनपढ़ माता श्रीमति विमलादेवी पत्नी बनवारी लाल किलाणिया निवासी भूदौली रोड नीमकाथाना, जिला सीकर के अगूंठा करवा लिये थे तथा परिवादिया को धमकी दी कि "उक्त इकारनामें पर हस्ताक्षर नहीं करेगी, तो मैं मर जाउंगा।'' उक्त इकरारनामे को पवन कुमार सैनी एडवोकेट नोटरी पब्लिक नीमकाथाना के क्रमांक 958/2021 दिनांकित 20.07.2021 को प्रमाणित भी करवा लिया। पति अभियुक्त सं. 1 परिवादिया की बतौर पत्नी नहीं रखना चाहता है और दूसरी शादी करना चाहता है। धमकी देता है कि "मेरी दूसरी शादी तेरे को ही करवानी पड़ेगी।'' परिवादिया के पिता बी.पी.एल. में चयनित है, इसलिये परिवादिया की अपने विवाह के लिए 50,000/– रुपये गरीब की सहायतार्थ मिले थे, उनको देने के लिए भी अभियुक्त सं. 1 परिवादिया के साथ अक्सर मारपीट करता है। पति अभियुक्त सं. 1 ने दिनांक 05.02.2022 को परिवादिया के मारपीट कर पहने हुये कपड़ों में ही बाहर निकाल दिया था। दिनांक 06.02.2022 को परिवादिया ने अभियुक्त सं. 1 को फोन किया कि मैं आ रही हूँ, तो अभियुक्त सं. 1 मकानों के ताला लगाकर बाहर ड्यूटी पर चला गया। अभियुक्त सं. 1 दिनांक 06.02.2022 को रात को भी घर नहीं आया परिवादिया ने बाथरूम में बैठकर बड़ी मुश्किल से रात गुजारी दिनांक 07.02.2022 की अभियुक्त सं. 1 के घर पर नहीं आने पर भूखी प्यासी परिवादिया परेशान होकर दिनांक 07.02.2022 को ही अपनी मंजू बुआजी के खेतड़ी चली गयी। वहां पर 8 दिन रुकने के बाद परिवादिया दिनांक 16.02.2022 को अपने माता–पिता के पास वार्ड नं. 15 भूदोली रोड नीमाकथाना आ गयी और अब अपने माता–पिता के साथ ही बडी मुश्किल से अपना जीवन यापन यापन कर रही है। दिनांक 20.02.2022 को परिवादिया ने अपने मोबाईल से पति अभियुक्त सं. 1 कहा कि समझाइश के लिये मेरे पीहर आ जाओ। परन्तू अभियुक्त सं. 1 ने इसका कोई सकारात्मक जबाब नहीं दिया। अभियुक्तगण ने परिवादिया के सम्पूर्ण स्त्रीधन को भी आपराधिक न्यास भंग करके अपने कब्जे में ले रखा है, मांगने पर भी परिवादिया के स्त्रीधन सोने, चांदी के आभूषणों एवं परिवादिया के डॉक्यूमेन्ट नहीं लौटा रहे हैं। दिनांक 13.02.2022 की करीब 6 बजे को

अभियुक्त सं. 1 तथा एक अन्य व्यक्ति परिवादिया के घर पर आये तथा अभियुक्त सं. 1 ने दहेज में 1 लाख रुपये नकद तथा एक कार देने तथा परिवादिया की छोटी बहन आरती पत्नी नितेश कुमार, जो की केड उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू में ब्याही है, उसके साथ अभियुक्त सं. 1 ने अपना दूसरा विवाह कराने के लिए दबाव डाला तथा कहा कि उसकी लड़की को तो नहीं लेकिन आरती के साथ दूसरी शादी करके रहूंगा, तब ही तेरे को मेरे साथ रखूंगा तथा मेरे घर कर सम्पूर्ण खर्चा तेरे को अपने माता –पिता से लाकर देना होगा। परिवादिया के घर पर पूर्व में छोटे भाई दीपक विजय बडे भाई नरेद्र एवं छोटी बहन आरती के विवाह सहित परिवार में हुए अन्य शादी समारोह एवं गमी में अभियुक्त सं. 1 न तो स्वयं आया और ना ही परिवादिया को आने देता है। अभियुक्त सं. 1 परिवादिया की कभी घर खर्च के लिये रुपये नहीं दिये तथा परिवादिया के सन्तान नहीं होती है, इसलिये कभी भी डॉक्टर से ईलाज भी नहीं करवाया है। ननद अभियुक्त सं. 2 धमकी देती है कि मेरे घर पर कभी भी मत आना तू बांझडी है तेरे सन्तान पैदा नहीं होती है, मेरे घर पर दो बच्चियां है, जो तेरे हाथ से खाना नहीं खांयेगी। अभियुक्त सं. 1 ने परिवादिया की इच्छा के विरुद्ध 2 ऑपरेशन भी करवाये थे........आदि–आदि।

**2–** न्यायालय द्वारा उक्त परिवाद को धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे आगे दं.प्र.सं. से संबोधित किया जायेगा) के अंतर्गत वास्ते अनुसंधान, थानाधिकारी पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली को प्रेषित करने पर परिवाद के आधार पर संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना नीमकाथाना कोतवाली द्वारा एफआईआर संख्या 121/2022 अपराध अंतर्गत धारा 468ए, 406 भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे भा.द.सं. से संबोधित किया गया है) व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दर्ज की जाकर अनुसंधान किया गया तथा बाद अनुसंधान अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल पुत्र नानकचन्द गोठवाल के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध उक्त धाराओं का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोप पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अपराध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. का मामला प्रथमदृष्टया बनना पाये जाने पर अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल पुत्र नानकचन्द गोठवाल के विरुद्ध धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. के अपराध में प्रसंज्ञान लिया गया।

**3–** अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल को धारा 498ए, 406 भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्त ने सुन–समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

**4–** साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर दिनांक 03.06.2026 को परिवादिया प्रिया किलानिया व अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल ने न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा किये जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा अनुमति प्रदान किये जाने के पश्चात उक्त पक्षकारान ने न्यायालय के समक्ष पृथक से धारा 406 भा.दं.सं. में राजीनामा प्रस्तुत किया, जिसे बाद जांच तस्दीक किया जाकर अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल को धारा 406 भा.दं.सं. के आरोप में बरुए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया गया। अतः हस्तगत निर्णय अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल के विरुद्ध धारा 498 ए भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की हद तक ही पारित किया जा रहा है।

**5–** प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो जाने तथा प्रकरण के मुख्य गवाह स्वयं परिवादिया प्रिया किलाणिया व अन्य गवाहान के पक्षद्रोही घोषित हो जाने से अन्य साक्षीगण की साक्ष्य तार्किक नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन समाप्त की गई।

**6–** साक्ष्य अभियोजन में अभियोजन पक्ष की ओर से PART–II के भाग ए में वर्णितानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित करवाई गई। अभिलेख पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न नहीं होने से अभियुक्त को धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण से उन्मुक्त किया गया तथा साथ ही, अभियुक्त की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

**7–** उभय पक्ष की बहस अंतिम सुनी गई। बहस अंतिम के द्वौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित हैं। अतः अभियुक्त को उचित दंड से दंडित किया जावे।

वहीं विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस अंतिम तर्क दिया है कि प्रकरण में परिवादिया व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है, जो राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक भी किया गया है। इसके अतिरिक्त भी अभियोजन की ओर से परीक्षित करवाये गये अन्य साक्षीगण पक्षद्रोही घोषित हुये हैं, जिनके कथनों से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया।

**8–** उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन व परिशीलन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु निम्नानुसार हैः–

**1– "क्या अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल द्वारा दिनांक 07.12.2014 को परिवादिया प्रिया किलाणिया से शादी होने के पश्चात् मौजा गांधी चौक बुनकर मोहल्ला चौमू, जयपुर ग्रामीण में परिवादिया को दहेज में एक लाख रुपये एवं एक कार की मांग की, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर परिवादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं परिवादिया प्रिया किलाणिया के पति होते हुए परिवादिया से दहेज में एक लाख रुपये व कार की प्रत्यक्ष रूप से मांग की?**

यदि हां तो अभियुक्त को क्या दण्डादेश दिया जाना उचित होगा? ''

**9–** बहस के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से मुख्य रूप से 5 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है एवं दस्तावेजी साक्ष्य में कुल 12 दस्तावेजात को प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये हैं।

**10–** हस्तगत प्रकरण में सबसे अहम गवाह परिवादिया प्रिया किलाणिया, जिस अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू. 1 के क्रम पर परीक्षित करवाया गया है, साक्ष्य में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए यह अभिकथित करती है कि अभियुक्त से विवाह के उपरांत उसके व अभियुक्त के मध्य आपसी वैचारिक मतभेद हो गये थे। उसको अभियुक्त ने कभी भी उसे दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान या मारपीट नहीं की तथा नाही कार या रुपयों की मांग की। अभियोजन द्वारा गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह कथन करती है कि परिवाद पत्र प्रदर्श पी. 1 का सी से डी भाग उसने गलतफहमी में लिखवा दिया था। गवाह स्वयं के पुलिस बयान प्रदर्श पी. 3 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताती है। गवाह द्वारा अपनी सशपथ बयान में यह भी अभिकथन किया गया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो चुका है। उक्तानुसार प्रकरण में स्वयं परिवादिया द्वारा प्रकरण में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियोजन कहानी की लेशमात्र भी पुष्टि नहीं की गई है तथा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भवश अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं करते हुए यह कथन किया है कि अभियुक्त ने कभी भी दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। ऐसे में, अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भवश उक्त गवाह द्वारा अभियोजन कहानी की संपुष्टि कारक साक्ष्य नहीं दी गई है। साथ ही प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादिया के पक्षद्रोही रहने से अभियोजन कहानी प्रारंभ से ही दूषित हो जाती है।

**11–** इसी प्रकार परिवादिया की माता बिमला देवी, जिसे अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू. 2 के क्रम पर परीक्षित करवाया गया है, सशपथ साक्ष्य में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियुक्त

द्वारा उसकी पुत्री परिवादिया प्रिया को विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान नहीं करना अभिकथित किया है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 8 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताती है एवं अभियुक्त द्वारा उसकी पुत्री को दहेज में एक लाख रुपये व एक कार लाने के लिए तंग–परेशान नहीं करना बताते हुए पक्षकारान में राजीनामा होना स्वीकार करती है। ऐसे में, उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है।

**12–** इसी प्रकार परिवादिया की चाचा कैलाश चंद, जिसे अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू. 3 के क्रम पर परीक्षित करवाया गया है, सशपथ साक्ष्य में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियुक्त द्वारा उसकी भतीजी परिवादिया प्रिया को विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान नहीं करना अभिकथित किया है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 9 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताता है एवं अभियुक्त द्वारा उसकी भतीजी को दहेज में एक लाख रुपये व एक कार लाने के लिए तंग–परेशान नहीं करना बताते हुए पक्षकारान में राजीनामा होना स्वीकार करता है। ऐसे में, उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है।

**13–** इसी प्रकार बाबूलाल, जो कि परिवादिया का पड़ौसी है, को अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू. 4 के क्रम पर परीक्षित करवाया गया है, सशपथ साक्ष्य में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियुक्त द्वारा परिवादिया प्रिया को विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान नहीं करना एवं ना ही कोई कार या रुपयों की मांग करना अभिकथित किया है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 10 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताता है एवं अभियुक्त द्वारा परिवादिया प्रिया को दहेज में एक लाख रुपये व एक कार लाने के लिए तंग–परेशान नहीं करना बताते हुए पक्षकारान में राजीनामा होना स्वीकार करता है। ऐसे में, उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है।

**14–** इसी प्रकार कमला, जो कि परिवादिया की चाची है, को अभियोजन द्वारा पी.डब्ल्यू. 5 के क्रम पर परीक्षित करवाया गया है, सशपथ साक्ष्य में पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियुक्त द्वारा परिवादिया प्रिया को विवाह के उपरांत दहेज की मांग को लेकर तंग–परेशान नहीं करना अभिकथित किया है। अभियोजन द्वारा उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया

गया। अभियोजन द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में उक्त गवाह अपने पुलिस बयान प्रदर्श पी. 11 का ए से बी भाग पुलिस को नहीं देना बताती है एवं अभियुक्त द्वारा परिवादिया प्रिया को दहेज में एक लाख रुपये व एक कार लाने के लिए तंग–परेशान नहीं करना बताते हुए पक्षकारान में राजीनामा होना स्वीकार करती है। ऐसे में, उक्त गवाह की साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी को कोई संबल प्राप्त नहीं होता है।

**15–** उपर्युक्तानुसार प्रकरण में परिवादीया पी.डब्ल्यू. 1 प्रिया किलाणिया पूर्ण रूप से पक्षद्रोही रहते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध के संदर्भवश अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की गयी है। अन्य गवाहान की साक्ष्य में भी भारी विरोधाभास है। ऐसे में , अभियोजन गवाहान की साक्ष्य के मध्य विरोधाभास के दृष्टिगत एवं परिवादिया के पूर्ण रूप से पक्षद्रोही होने के तथ्य के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

**16–** अतः न्यायालय के मतानुसार अभियोजन द्वारा पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल द्वारा दिनांक 07.12.2014 को परिवादिया प्रिया किलाणिया से शादी होने के पश्चात् मौजा गांधी चौक बुनकर मोहल्ला चौमू, जयपुर ग्रामीण में परिवादिया को दहेज में एक लाख रुपये एवं एक कार की मांग की, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर परिवादिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता कारित की एवं परिवादिया प्रिया किलाणिया के पति होते हुए परिवादिया से दहेज में एक लाख रुपये व कार की प्रत्यक्ष रूप से मांग की।

**17–** परिणामस्वरूप अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल पुत्र नानकचन्द गोठवाल को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

**18–** अतः अभियुक्त सत्यस्वरूप गोठवाल पुत्र नानकचंद गोठवाल निवासी बुनकर मोहल्ला चौमू, पुलिस थाना चौमू, जिला–जयपुर (राज.) को अपराध अंतर्गत धारा 498 ए भा.दं.सं. व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। दिनांक 03.06.2026 को अभियुक्त को अपराध अंतर्गत धारा 406 भा.दं.सं. के तहत बरूए राजीनामा दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है।

**19–** अभियुक्त द्वारा अपनी उपस्थिति बाबत पूर्व में पेश किये गये जमानत –मुचलकों की अवधि धारा 437 ए दं.प्र.सं. के प्रयोजन से विस्तारित की जाती है। प्रकरण में फर्द जब्ती व

सुपुर्दगी दहेज का सामान के अनुसार समस्त दहेज का सामान परिवादिया प्रिया किलाणिया को पूर्व में सुपुर्दगी पर दिया जा चुका है, जो कि परिवादिया प्रिया किलाणिया के पास ही रहे।

**(डॉ. सोनिया पूर्वा)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**क्रम–1, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)**

**20–** निर्णय आज दिनांक 06.06.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

**(डॉ. सोनिया पूर्वा)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**क्रम–1, नीमकाथाना, जिला सीकर (राज.)**

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.18 13:47:27 IST